कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / पीए / आयुक्त / 2009 / दिनांक

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.06.2009 में नगर सुधार न्यास (भूमि निस्तारण नियम 1974) के समस्त नियमों के तहत अध्यक्ष न्यास की शक्तियां जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त एवं न्यास मण्डल की शक्तियां कार्यकारी समिति को प्रदत्त की गई है।

1974 के नियमों के नियम 17(5), 17(6), 18(3), 18ए, 19ए के तहत निर्धारित समयावधि निकल जाने पर शास्ती आदि आरोपित करते हुए अध्यक्ष न्यास के स्तर की पत्रावलियां नियमन हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को पेश की जा रही है। इसी क्रम में न्यास मण्डल के स्तर की पत्रावलियां नियमन हेतु कार्यकारी समिति के अनुमोदन की अपेक्षा में स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को पेश की जा रही है।

पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो एवं प्रक्रिया की एकरूपता रखने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. संबंधित उपायुक्त स्वामित्व, दस्तावेज, ब्याज व शास्ती की गणना, प्रक्रिया आदि के संबंध में जांच पूर्ण कर प्रकरण नियमानुसार योग्य होने पर ही नियमन हेतु अग्रेषित करेंगे।
2. जोधपुर विकास आयुक्त के स्तर पर नियमन योग्य पत्रावलियां संबंधित उपायुक्त द्वारा सीधे अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित की जायेंगी।
3. कार्यकारी समिति के स्तर पर नियमन योग्य पत्रावलियां सचिव, प्राधिकरण एवं सचिव कार्यकारी समिति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित की जावेगी।

कार्य की अधिकता को देखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं कार्यकारी समिति के स्तर पर केवल विलम्ब के कारण स्वतः निरस्तिकरण को नियमन करने के बिन्दु पर निर्णय लिया जावेगा। स्वामित्व, ब्याज व शास्ती की गणना, नियमानुसार प्रक्रिया, आदि के आधार पर योग्यता उपायुक्त के स्तर पर निर्धारित की जावेगी।

—sd—

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक / पीए / आयुक्त / 2009 / 843 से 849 दिनांक :– 03/07/2009

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. उपायुक्त उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर